आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद संख्या –294 / 2019

मनोज कुमार पाण्डेय

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
18.04.2023	प्रस्तुत अपीलवाद जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के आदेश ज्ञापांक 1232 / स्था0 दिनांक 26.10.2019 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है, जिस आदेश से जिला पदाधिकारी ने अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्य करते हुए अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते आ रहे है। अपीलकर्ता जब जिला राजस्व शाखा, पूर्वी चम्पारण में कार्यरत थे तब अपीलकर्ता पर प्रपत्र 'क' के माध्यम से निम्न आरोप गठित हुआ :– श्री मनोज कुमार पाण्डेय, राजस्व कर्मचारी द्वारा सरकारी कर्मी होते हुए सरकारी कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध के बावजूद शराब का सेवन किया गया, श्री पाण्डेय का यह आचरण ''बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 (i)(iii) एवं संशोधित नियमावली अधिसूचना सं0–1823 दिनांक 16.02.2017 के नियम–04 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

अपीलकर्ता पर प्रपत्र 'क' के माध्यम से आरोप गठित होने के पश्चात् उनके (अपीलकर्ता) विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। जिसमें अपीलकर्ता ससमय उपस्थित होकर अपना जवाब दिया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि दिनांक 08.06.2018 को अपीलकर्ता कार्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात् घर वापस जा रहे थे। उसी समय साजिश के तहत उत्पाद विभाग द्वारा जबरदस्ती से पकड़ लिया गया एवं इनके द्वारा ब्रेथ एनालाइजर लगाकर झूठा आरोप सिद्ध करने हेतु सारे कागजात पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिया गया तथा बाद में उत्पाद विभाग द्वारा अपने लिखावट मे कबूलनामा लिखकर न्यायालय में दाखिल किया।

उत्पाद विभाग ने कार्यालय परिसर मे शराब सेवन का समय 18:50 (6:50) बजे अपराहन् तथा स्थल कार्यालय बताया गया जबकि कार्यालय समाप्त होने का समय (5:00 बजे अपराह्न) है।

उत्पाद विभाग ने अपीलकर्ता के बनावटी ब्रेथ एनालाईजर का रिपोर्ट दाखिल किया उसमे अल्कोहन की मात्रा 64.4 एम0जी0 दर्शाया जो अपीलकर्ता के द्वारा शराब सेवन करने के कारण नहीं था बल्कि अपीलकर्ता द्वारा लगभग 05 वर्षो से अपने अनेक बिमारियों के कारण होमियोपैथ दवा का सेवन लगातार करते चले आ रहे है, जिस कारण से था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि शराब का सेवन किये जाने संबंधित जाँच केवल ब्रेथ एनालाईजर के आधार पर नहीं किया जा सकता है बल्कि उसके लिए अपीलकर्ता को खून एवं पेशाब की जाँच कराना चाहिए था, लेकिन उत्पाद विभाग द्वारा अपीलकर्ता के खून एवं पेशाब की जाँच नहीं कराया गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी दावा है कि विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी ने किसी व्यक्ति या किसी साक्षी के

WEB COPY NOT OFFICIAL

उपस्थिति में उत्पाद विभाग द्वारा कार्यालय में छापेमारी की उन साक्षियों को प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार एक सरकारी कर्मी को शराब का सेवन करना बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे आरोप के लिए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए, प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार ने बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया है जो बिल्कूल उचित है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एंव निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 08.06.2018 की संध्या समाहरणालय स्थित जिला राजस्व शाखा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा शराब पीते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अपीलकर्ता को काराधीन की तिथि दिनांक 08.06.2018 के प्रभाव से कार्यालय का आदेश ज्ञापांक 803 दिनांक 09.06.2018 द्वारा निलंबित करते हुए प्रपत्र 'क' गठित किया गया। कारा से लौटने के बाद दिनांक 16.07.2018 को अपीलकर्ता ने अपना योगदान अपर समाहर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसके बाद निलंबन से मुक्त करते हुए अपीलकर्ता के योगदान को स्वीकृत किया गया तथा कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1077/स्था0 दिनांक 08.08.2018 द्वारा पुनः निलंबित किया गया। तत्पश्चात् अपीलकर्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिसमें संचालन पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा को नामित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 83 दिनांक 30.03.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें अपीलकर्ता के विरूद्ध लगे आरोप को सत्य पाया गया।

WEB COPY NOT OFFICIAL

तदोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार ने अपीलकर्ता से द्वितीय कारण–पृच्छा करते हुए उन्हें दंडित किया है, जिसमें कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है।

उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता का मुख्य दावा यह है कि वे (अपीलकर्ता) होमियोपैथ के दवा का सेवन करते थे जिस कारण उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा प्राप्त हुआ था। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता के विरूद्ध ब्रेथ एनालाईजर रिपोर्ट के आधार पर शराब सेवन किये जाने की स्थिति में पकड़े जाने पर उत्पाद अधीक्षक द्वारा प्राथमिकी सं0–802 दिनांक 08.06.2018 में नामजद अभियुक्त है। साथ ही उन्होंने अपने (अपीलकर्ता) कबूलनामा में भी स्वयं स्वीकार किया है कि वे (अपीलकर्ता) कार्यालय में अन्य चार व्यक्तियों के साथ शराब का सेवन कर रहे थे। साथ ही उत्पाद विभाग द्वारा समर्पित जब्ती में भी अपीलकर्ता को भुजा एवं शराब के साथ पाया है। इसलिए उनका (अपीलकर्ता) का यह दावा मान्य नहीं हो सकता है। श्री मनोज पाण्डेय का सरकारी सेवा में रहना लोकहित एवं राजहित के विरूद्ध होगा एवं अपीलकर्ता का उक्त कृत्य ''बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(i),(ii),(iii) तथा ''बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 2017 के नियम–04 के प्रतिकूल है।

उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL